रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112026-277888
CG-DL-E-13112026-277888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2026/कार्तिक 15, 1948
No. 660] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026/KARTIKA 15, 1948

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2026

सं. ईको–एम9/2026–केविविआ.— "वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का अवधारण करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत" से संबंधित विद्युत मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित तारीख 19.01.2005 की अधिसूचना के खंड 5.6 (vi) के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को विद्युत मंत्रालय के पत्र दिनांक 13.04.2022 और ''शक्ति (भारत में कोयला, पारदर्शी रूप में आबंटित करने वाले और हार्नेसिंग के लिए योजना) नीति'' दिनांक 06.03.2019 के बी(I), बी(III) और बी(IV) के अधीन कोयले के आबंटन सहित मॉडल बोली दस्तावेजों के अधीन यथाप्रदत्त डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार और स्रोत ईंधन पर स्थापित थर्मल पावर स्टेशनों से विद्युत की दीर्घकालिक उपाप्ति के लिए मार्गनिर्देश'' के संशोधन पर दिनांक 11.07.2022 के प्रस्ताव के अनुसरण में, केविविआ भुगतान के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित वृद्धि दरों को अधिसूचित करता है।

उपरोक्त मार्गनिर्देशों के अंतर्गत हुए ऊर्जा क्रय करार के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति हेतु संदाय के प्रयोजन के लिए सितम्बर 2026 हेतु लागू मासिक वृद्धि दरें:

क्र.सं.	विवरण	भुगतान हेतु मासिक वृद्धि दर
1.	आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर	**3.59%**
2.	आयातित कोयले के परिवहन के लिए वृद्धि दर	**5.98%**
3.	आयातित कोयले की अंतर्देशीय उठाई–धराई के लिए वृद्धि दर	**0.44%**

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./431/2026-27]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2026

No. Eco-M9/2026-CERC.— In pursuance of Clause 5.6 (vi) of the Ministry of Power (MOP) Notification on "Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees" dated 19.01.2005 as amended from time to time, MOP communication to the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) dated 13.04.2022, and MOP Resolution dated 11.07.2022 on an amendment to the "Guidelines for long term Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis and sourcing fuel as provided under Model Bidding Documents including allocation of coal under B (I), B(III) and B(IV) of SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India) Policy" dated 6.03.2019, the CERC notifies the following escalation rates for the purpose of payment.

Monthly Escalation Rates applicable for September 2026 for the purpose of payment for Procurement of Power by Distribution Licensees as per the Power Purchase Agreement entered into under the Guidelines mentioned above:

Sr. No.	Description	Monthly Escalation Rates for Payment
1	Escalation rate for imported coal	**3.59%**
2	Escalation rate for transportation of imported coal	**5.98%**
3	Escalation rate for inland handling of imported coal	**0.44%**

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./431/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA